जवाहरपुर विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड के निदेशक मण्डल की 28वीं बैठक जो दिनांक 26.03.2019 को सम्पन्न हुई, का कार्यवृत्त।

उपस्थिति

1– श्री सेंथिल पांडियन सी0 — अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक
2– श्री बी0एस0 तिवारी — निदेशक
3– श्री सुधांशु द्विवेदी — निदेशक
4– श्री सुबीर चक्रवर्ती — निदेशक
5– श्री संजय तिवारी — निदेशक

सहायतार्थ

श्री प्रदीप सोनी — कम्पनी सचिव

श्री सेंथिल पांडियन सी0 की अध्यक्षता मे बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गयी।

मद संख्या - 28.1

निगम के निदेशक मण्डल की 27वीं बैठक जो दिनॉंक 14.01.2019 को सम्पन्न हुई, की कार्यवाही की पुष्टि के सम्बन्ध में।

कम्पनी सचिव द्वारा निदेशक मण्डल को अवगत कराया गया कि दिनांक 14.01.2019 को सम्पन्न हुई निदेशक मण्डल की 27वीं बैठक के कार्यवृत्त जिस पर माननीय अध्यक्ष द्वारा 17.01.2019 को हस्ताक्षर किये गए, का पुष्टिकरण किया जाना अपेक्षित है।

निदेशक मण्डल द्वारा निम्न प्रस्ताव पारित किये गये :-

"निदेशक मण्डल ने 27वीं बैठक जो दिनांक 17.01.2019 को सम्पन्न हुई, के प्रस्तुत कार्यवृत्त का पुष्टिकरण किया।"

मद संख्या - 28.2

निदेशक मण्डल के सदस्यों से परिचालन माध्यम द्वारा पारित प्रस्ताव के पुष्टिकरण के सम्बन्ध में।

कम्पनी सचिव ने निदेशक मण्डल को अवगत कराया कि परिचालन माध्यम से निदेशक मण्डल के सदस्यों द्वारा निम्न प्रस्ताव पारित कराये गये थे:-

CHAIRMAN'S INITIAL

Scanned by CamScanner

- **निर्माणाधीन जवाहरपुर तापीय परियोजना हेतु मुख्य अभियन्ता, स्तर–2 को वित्तीय अधिकार प्रदत्त किये जाने के सम्बन्ध में निदेशक मण्डल के सदस्यों द्वारा परिचालन माध्यम से दिनांक 07.03.2019 को पारित प्रस्ताव का उद्धरण।**

निदेशक मण्डल के सदस्यो द्वारा लिया गया निर्णय

"निदेशक मण्डल द्वारा वर्तमान में उ.प्र.रा.वि.उ.नि.लि. में प्रचलित पत्रांक: सचिव/उनिलि/जी–3/018 दिनांक 04.07.2012 के क्रमांक–1 पर अंकित, परियोजना प्रमुख को प्रदत्त वित्तीय अधिकार (रू 30 लाख की अधिकतम वित्तीय सीमा तक) की अनुरूपता में मुख्य अभियन्ता, जवाहरपुर वि.उ.नि.लि. को भी तदानुसार वित्तीय अधिकार प्रदान करने हेतु अनुमोदन प्रदान किया गया–

क्रम संख्या	अधिकारी जिसको वित्तीय अधिकार प्रदान किया जाना है	वर्तमान में प्रदत्त वित्तीय अधिकार	वित्तीय अधिकार जो प्रस्तावित है
1.	मुख्य अभियन्ता (स्तर–2) एवं परियोजना प्रमुख को पूंजीगत क्रय/कार्य हेतु	शून्य	रू0 30.00 लाख की अधिकतम सीमा तक

- **निदेशक मण्डल की दिनाँक 20.12.2017 को सम्पन्न हुयी 23वीं बैठक में ऐजेण्डा आईटम संख्या–9 के अन्तर्गत 2x660 जवाहरपुर तापीय विद्युत उत्पादन निगम लि0, मलावन(एटा) पर तैनात अधिकारियों/कार्मिकों को पूर्व में एक वर्ष के लिए अनुमन्य विशेष प्रतिकर भत्ता रू0 3000/–(रूपये तीन हजार) की अवधि बढ़ाये जाने विषयक।**

निदेशक मण्डल के सदस्यो द्वारा लिया गया निर्णय

"निदेशक मण्डल द्वारा निर्माण कार्य में लगे जवाहरपुर तापीय परियोजना के नियमित अधिकारी/कार्मिक जो वर्तमान में एटा/मलावन में रह रहे है को पूर्व की भांति प्रतिमाह रू0 3000.00 (रूपये तीन हज़ार मात्र) का विशेष नगर भत्ता पूर्व आदेश के समाप्त होने की तिथि दिनॉक 19.12.2018 से एक वर्ष के उपरान्त अर्थात दिनॉक 20.12.2018 से एक वर्ष अथवा गेस्ट हाउस/फील्ड हास्टल के निर्मित हो जाने तक इनमें से जो भी पहले हो, अनुमन्य किये जाने हेतु अनुमोदन प्रदान किया गया।"

CHAIRMAN'S INITIAL

Scanned by CamScanner

मद संख्या - 28.3

2X660 मे0वाट जवाहरपुर तापीय परियोजना के रेल नेटवर्क (एटा से मलावन) के निर्माण हेतु आपसी समझौते से क्रय की जाने वाली भूमि की कुल लागत का शासनादेश में उल्लिखित प्रावधानानुसार निदेशक मंडल से अनुमोदन के सम्बन्ध में।

निदेशक (परियोजना एवं वाणिज्य) द्वारा अवगत कराया गया कि जवाहरपुर तापीय विद्युत परियोजना के रेल नेटवर्क के प्राथमिकता पर निर्माण हेतु प्रथम चरण (एटा रेलवे स्टेशन से मलावन–परियोजना) तक लगभग 19.50 कि0मी0 के मध्य प्रस्तावित संरेखण में पड़ रहे वर्तमान में अधिग्रहीत किये जाने हेतु उपरोक्त वर्णित 16 ग्रामों में प्रस्तावित कुल 68.2001 हेक्टेयर भूमि के क्रय किये जाने के दृष्टिगत उपरोक्त वर्णित ग्रामों में प्रस्तावित कुल भूमि का क्रय किया जाना है।

निदेशक मण्डल ने सम्यक विचारोपरान्त निम्नलिखित प्रस्ताव पारित किया :–

1. "जवाहरपुर तापीय विद्युत परियोजना की संशोधित विस्तृत परियोजना रपट में परियोजना हेतु भूमि के मद में कुल रू. 100.00 करोड़ (रू0 63.00 करोड विद्युत गृह हेतु + रू0 37.00 करोड़ कालोनी व कारीडोर हेतु) के प्रावधान के आवासीय परिसर व रेल नेटवर्क की भूमि हेतु पर्याप्त न होने के आलोक में संशोधित करते हुये परियोजना हेतु भूमि के मद में कुल रू. 100.00 करोड के प्रावधान को बढ़ा कर वर्तमान आंकलित लागत के अनुसार कुल रू. 279.00 करोड (रू0 64.40 करोड विद्युत गृह हेतु + रू0 57.8 करोड कालोनी हेतु + रू0 156.8 करोड़ रेल नेटवर्क व पहुँच मार्ग कारीडोर हेतु) का संशोधित प्रावधान अनुमोदित किया जाता है।

   कालान्तर में परियोजना के पुनरीक्षित लागत के समग्रता में अनुमोदन के समय भूमि के मद में रू0 179.00 करोड की इस अतिरिक्त लागत वृद्धि को समग्र पुनरीक्षित लागत में सम्मिलित किया जायेगा।

2. उपरोक्त प्रावधान के तहत रेल नेटवर्क के कार्य प्राथमिकता पर संपन्न कराने हेतु प्रथम चरण में शासनादेश संख्या 2/2015/215/एक–13–2015–20 (48)/2011 राजस्व अनुभाग–13 दिनांक 19.03.2015 एवं शासनादेश संख्या 32/744/एक–1–2016–20 (5)/2016 दिनांक 03.06.2016 में उल्लिखित प्रावधानानुसार जवाहरपुर विद्युत तापीय परियोजना, मलावन, एटा हेतु कोयले एवं तेल की आपूर्ति के लिए एटा से परियोजना तक लगभग 19.50 कि0मी0 के मध्य रेल नेटवर्क के निर्माण हेतु प्रस्तावित संरेखण में पड़ रहे 18 ग्रामों की कुल 74.9967 हेक्टेयर काश्तकारों की भूमि तथा 7.1716 हेक्टेयर ग्राम सभा/सरकारी अन्य/वन विभाग भूमि हेतु आयुक्त, अलीगढ़ द्वारा संस्तुत कुल रू0 75,94,85,491.00 के भूमि मूल्य के सापेक्ष जी0टी0रोड (एन0एच0–91) बाईपास व

CHAIRMAN'S INITIAL

परियोजना के रेल नेटवर्क के एटा– पटियाली सडक के क्रासिंग पर रेल संरेखण के कुछ भाग में परिवर्तन होने के कारण ओवरलैप कर रही भूमि को छोडते हुये वर्तमान में अधिग्रहीत किये जाने हेतु 16 ग्रामों की कुल 65.3498 हेक्टेयर काश्तकारों की भूमि तथा 2.8503 हेक्टेयर ग्राम सभा/सरकारी अन्य/वन विभाग भूमि को अधिग्रहीत किये जाने हेतु कुल रू0 63,50,98,077.00 तथा इसके साथ ही स्टाम्प डयूटी, रजिस्ट्री शुल्क, विक्रय विलेख, बैनामा व अन्य विविध मदों हेतु कुल रू0 4,12,75,084.00 को सम्मिलित करते हुये निम्नतालिकानुसार कुल रू0 67,63,73,161.00 का अनुमोदन प्रदान करने के साथ रू0 67,63,73,161.00 की धनराशि परियोजना को उपलब्ध कराये जाने का अनुमोदन प्रदान किया जाता है –

क्रम सं0	मद	धनराशि (रू0)	टिप्पणी
1.	काश्तकारों की भूमि	57,19,33,040.00	मडलायुक्त, अलीगढ़ द्वारा संस्तुत रू0 75,94,85,491.00 में से रू0 63,50,98,077.00
2.	ग्राम सभा/सरकारी अन्य भूमि	6,18,46,720.00	
3.	वृक्षों का मूल्याकंन	7,73,443.00	
4.	कूप/बोरिंग/हैडपम्प का मूल्याकंन	5,44,874.00	
5.	स्टाम्प डयूटी	3,28,29,827.00	अन्य आंकलित व्यय रू0 4,12,75,084.00
6.	रजिस्ट्री शुल्क	61,87,357.00	
7.	विक्रय विलेख/बैनामा	7,57,900.00	
8.	विविध व्यय	15,00,000.00	
	कुल धनराशि	रू0 67,63,73,161.00	रू0 67,63,73,161.00

बैठक अध्यक्ष महोदय को धन्यवाद देते हुए समाप्त हुई।

बैठक सांय 5:00 बजे प्रारम्भ होकर सांय 5:30 बजे समाप्त हुई।

दिनांक : 01-04-2019

(सेंथिल पांडियन सी0)
अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक

CHAIRMAN'S INITIAL

Scanned by CamScanner